27/1/15

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

M 619231

मुद्रांक शुल्क 2,49,000–00
अति. शुल्क 00–00
कुल मुद्रांक 2,49,000–00

।। विनिमय–पत्र (एक्सचेंज डीड) ।।

(मूल प्रति)

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत प्रथमपक्ष के स्वामित्व की भूमि ग्राम "नैनोद" स्थित प.ह.02 रा.नि.नं. राऊ 01 तहसील व जिला इन्दौर की पंजीकृत दस्तावेज नंबर 1अ/3716(4/1) दिनांक 28.02.2013 व भू–अधिकार पुस्तिका क्रमांक LI 966643 में दर्ज भूमि है एवं द्वितीयपक्ष के स्वामित्व की भूमि ग्राम "नैनोद" स्थित प.ह.02 रा.नि.नं. राऊ 01 तहसील व जिला इन्दौर भू–अधिकार पुस्तिका क्रमांक **LI-984783** में दर्ज भूमि का विनिमय पत्र (एक्सचेंज–डीड), बाजार मूल्य रुपये 49,80,000/– व 22,31,000/–

एकदंत रेसीडेंसी प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर
श्री विरेन्द्र पिता श्री छेदीलाल गुप्ता आयु वर्ष
निवासी 6, साधना नगर, इन्दौर (म.प्र.) ......प्रथमपक्ष

1–श्री रणजीतसिंह पिता श्री भेरूसिंह जाति कलौता,
2–श्री गौरीशंकर पिता श्री रणजीतसिंह जाति कलौता, ...द्वितीयपक्ष
निवासी ग्राम नैनोद तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

यह विनिमय पत्र प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष आपस में निम्नानुसार निष्पादित कर देते है कि :–

(अविरत...2)

गोरीशंकर रणजीतसिंह

Virendra

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH AB 050041

(1) यह कि, प्रथमपक्ष के स्वामित्व एवं अधिपत्य की जमीन "नैनोद" तहसील व जिला इन्दौर स्थित कृषि भूमि पटवारी हल्का 02 रा.नि.नं. राऊ 01 यहां सर्वे नंबर 70 पैकि (बटांकन पश्चात् सर्वे नंबर 70/मिन–2) रकबा हेक्टर में 0.689 हेक्टर व लगान रूपये (राजस्व रिकार्ड अनुसार) पैसे की भूमि है। सदर भूमि प्रथमपक्ष ने पंजीकृत दस्तावेज नंबर 1अ/3716(4/1) दिनांक 28.02.2013 के द्वारा श्री शिवकुमार पिता श्री योवनलाल कलोता से क्रय की हुई है। उक्त भूमि पैकि निम्न वर्णित भूमि द्वितीयपक्ष को विनिमय में दी जा रही है। जिसका का खसरा नंबर, रकबा, लगान निम्नानुसार है :–

सर्वे नंबर	रकबा हेक्टर	लगान रूपये–पैसे
70/मिन–2 पैकि	0.037	राजस्व रिकार्ड अनुसार
कुल नग–1	0.037	राजस्व रिकार्ड अनुसार

<u>प्रथमपक्ष के स्वामित्व की भूमि की चतु:सीमा</u>

पूर्व को :: एकदंत रेसीडेंसी प्रा. लि. की शेष भूमि

पश्चिम को :: रास्ता

उत्तर को :: प्रथमपक्ष की शेष भूमि

दक्षिण को :: मुकेश जी की संपत्ति

(अविरत...3)

23 SEP 2013

द्वितीयपक्ष (1) रणजीतसिंह पिता भेरूसिंह जी
(2) गौरीशंकर पिता रणजीतसिंह
ग्राम बनेड तहसील जिला इन्दौर

DEEPAK MISHRA
Stamp Vendor
25/17 Moti Tabela, INDORE

इन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ
स्वीकार करते हैं कि तथाकथित
विलेख का निष्पादन किया
गया है और प्रतिफल के पूरे/आंशिक
रु.............................
(अंको व शब्दों में) प्राप्त हो गये हैं
तथा रु.....................(अंको व
शब्दों में) इन्हें मेरी उपस्थिति में
चुकाये गये हैं, और प्रतिफल की
बकाया रकम, तथा रु.................
रह गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त
होगी। आज तारीख ....

(1) रामलाल पिता बाबूलाल जी
ग्राम बनेड तह. व जिला इन्दौर
(2) लालसिंह पिता गौरीशंकर
ग्राम बनेड तह. व जिला इन्दौर

की जाँच पूर्वोक्त निष्पादक/निष्पादकों
की शिनाख्त के विषय में की गई है
आज तारीख 29/10/13

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AB 050042

(2) **यह कि,** द्वितीयपक्ष के स्वामित्व एवं अधिपत्य की जमीन **"नैनोद"** तहसील व जिला इन्दौर स्थित कृषि भूमि पटवारी हल्का 02 रा.नि.नं. राऊ 01 यहां सर्वे नंबर 65/1 व 66/1 क्रमशः रकबा हेक्टर में 0.085 व 0.097 कुल 0.182 हेक्टर व लगान रूपये (राजस्व रिकार्ड अनुसार) पैसे की भूमि तहसील कार्यालय के राजस्व रेकार्ड में बतौर भूमि स्वामी के द्वितीयपक्ष के नाम पर दर्ज है, जिसका भू–अधिकार पुस्तिका क्रमांक **LI-984783** है। उक्त भूमि प्रथमपक्ष को विनिमय में दी जा रही है। जिसका का खसरा नंबर, रकबा, लगान निम्नानुसार है:–

सर्वे नंबर	रकबा हेक्टर	लगान रूपये–पैसे
65/1 66/1	0.085 0.097	राजस्व रिकार्ड अनुसार
कुल नग–2	0.182	

(अविरत...4)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH M 619226

((4))

यह कि, उक्त दोनो ही भूमि बाय–पास, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग से दूर स्थित होकर इसमें किसी प्रकार के झाड़–पेड़ आदि नही है।

(3) यह कि, प्रथमपक्ष अपनी उपरोक्त भूमि में कृषि कार्य करने में असुविधा महसूस करते है, इसी तरह द्वितीयपक्ष भी अपनी उपरोक्त भूमि में कृषि कार्य करने में असुविधा महसूस करते है तथा प्रथमपक्ष की उपरोक्त वर्णित भूमि द्वितीयपक्ष के लिए सुविधाजनक होकर द्वितीयपक्ष की भूमि भी प्रथमपक्ष के लिए सुविधाजनक है तथा दोनो ही पक्षो नें अपनी–अपनी सुविधा को देखते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि आपस में एक दुसरे को मोबादले में दे दी है तथा रकबा 0.037 हेक्टर पेटे दोनो ही पक्षो ने एक दूसरे से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया है, द्वितीयपक्ष की कुल भूमि 0.182 हेक्टर में से प्रथमपक्ष की भूमि का रकबा 0.037 हेक्टर घटाने के उपरांत शेष भूमि 0.145 हेक्टर भूमि पेटे प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को निम्नानुसार भुगतान किया है:–

रूपये 2,00,000/– (दो लाख मात्र) पंजाब नेशनल बैंक शाखा साधना नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर का चेक नंबर 658005 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से प्राप्त किए।

रूपये 2,00,000/– (दो लाख मात्र) पंजाब नेशनल बैंक शाखा साधना नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर का चेक नंबर 658059 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से प्राप्त किए।

(अविरत...5)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH M 619227

((5))

रूपये 4,00,000/- (चार लाख मात्र) पंजाब नेशनल बैंक शाखा साधना नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर का चेक नंबर 658061 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से प्राप्त किए।

रूपये 5,00,000/- (पांच लाख मात्र) पंजाब नेशनल बैंक शाखा साधना नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर का चेक नंबर 658062 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से प्राप्त किए।

रूपये 4,39,000/- (चार लाख उनचालीस हजार मात्र) पंजाब नेशनल बैंक शाखा साधना नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर का चेक नंबर 658065 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से प्राप्त किए।

रूपये 89,000/- (उननब्बे हजार मात्र) पंजाब नेशनल बैंक शाखा साधना नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर का चेक नंबर 658066 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से प्राप्त किए।

रूपये 5,60,000/- (पांच लाख साठ हजार मात्र) पंजाब नेशनल बैंक शाखा साधना नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर का चेक नंबर 658067 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से प्राप्त किए।

रूपये 5,00,000/- (पांच लाख मात्र) पंजाब नेशनल बैंक शाखा साधना नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर का चेक नंबर 658068 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से प्राप्त किए।

रूपये 28,88,000/- (अट्ठाईस लाख इट्‌यासी हजार मात्र)

(अविरत...6)

((6))

उपरोक्तानुसार संपूर्ण धनराशि द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से प्राप्त होना स्वीकार है। इस तरह से इस मोबादले लेख के जरिये प्रथमपक्ष ने अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि द्वितीयपक्ष को मोबादले में दे दी है तथा द्वितीयपक्ष ने भी अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि प्रथमपक्ष को मोबादले में दे दी है तथा दोनो ही पक्षो ने मोबादले में दी हुई जमीन का कब्जा एक दुसरे को मौके पर सौप दिया है।

(4) यह कि, इस मोबादले लेख के संबंध में यदि किसी भी पक्ष ने या उनके वारिसो ने किसी भी तरह का कोई वाद विवाद किया या एक दुसरे के कब्जे में किसी तरह से भी दखलअंदाजी देने की कोशिश की तो उसका हर्जा एवं खर्चा संबंधित पक्ष ही उठाऐगें दुसरे पक्ष को किसी प्रकार का हर्जा एवं खर्चा नही लगने देवेंगे।

(5) यह कि, मोबादले में दी हुई भूमि हर प्रकार के शासकीय एवं अशासकीय कर्ज भार से पूर्णतः मुक्त होकर अन्य किसी को किसी तरह से हस्तांतरण नही की है। इस पर किसी का जमानत का या अन्य हक्क संबंधी कोई बोझा भी नही है। इस तरह से उपरोक्त वर्णित भूमि हर तरह के ऋण भार से मुक्त होकर एक दुसरे को एक्सचेंज करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

(6) यह कि, प्रथमपक्ष के स्वामित्व की भूमि पर आज दिनांक तक के जो भी टेक्स व अन्य बकाया है, वह प्रथमपक्ष देवेंगे व भविष्य में द्वितीयपक्ष इसके टेक्स आदि जमा करवाते रहना वैसे ही द्वितीयपक्ष के स्वामित्व की भूमि पर आज दिनांक तक के जो भी टेक्स व अन्य बकाया है, वह द्वितीयपक्ष देवेंगे व भविष्य में प्रथमपक्ष इसके टेक्स आदि जमा करवाते रहना एवं उपरोक्त मोबादले में दी हुई भूमि पर तहसील कार्यालय के राजस्व रेकार्ड में बतौर भूमि स्वामी के नाम दर्ज करवाने में एक दुसरे की पूर्ण मदद करेंगे।

(अविरत...7)

रणजीतसिंह

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

M 619229

(7) यह कि, इस विनिमय पत्र के जरिये प्रथमपक्ष तथा द्वितीयपक्ष ने कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम (संशोधित) सन् 1972 के किसी भी प्रावधान का तथा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 165 सहित अन्य किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया हैं तथा उक्त भूमि भूदान बोर्ड अथवा शासकीय पट्टे की नहीं हैं।

(8) यह कि, उक्त संपत्ति प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के उपरोक्तानुसार एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की है तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष द्वारा एवं प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के किसी भी प्रतिनिधी या समनुदेशिती या अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति का आज दिनांक से पूर्व किसी अन्य को विक्रय, विनिमय, अनुबंध, मुख्त्यार या अन्य रीति से अंतरण नहीं किया गया है। सदर संपत्ति के विनिमय से पंजीयन विधान की धारा 22(क) का उल्लंघन नहीं होता है।

(अविरत...8)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश MADHYA PRADESH

M 619230

((8))

यह विनिमय पत्र (एक्सचेंज डीड) उभयपक्ष ने आज दिनांक को अपनी राजी खुशी से बिना किसी दबाव व प्रलोभन के तथा गवाहो के सामने शरीर व मन की पूर्ण स्वस्थ हालत में निष्पादित कर दिया सो प्रमाण रहे एवं आवश्यकता पडने पर काम में आवें ।इति ।

इन्दौर, दिनांक 29-10-2019

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

साक्षीगण:

1. ह.

नाम चम्पा लाल

पिता बाबू लाल

पता ग्राम नेनोद

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

2. ह.

नाम लखन सिसोदिया

पिता गोरीशंकर सिसोदिया

पता ग्राम नेनोद

उभयपक्ष द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं दिए गए निर्देशानुसार उक्त लेख का प्रारुप मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख के पक्षकार एवं गवाहो से मेरा कोई संबंध नहीं है।

संजय होलकर

एडव्होकेट

मो.नं.98266—10900

नोट :- [illegible] की चतुःसीमा में सफेद [illegible] हाथ से लिखा गया है जो पक्षकार के हस्ताक्षर से प्रमाणित है।

रणजीत सिंह